न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ. (राज0)

प्रकरण संख्याः– 35/2019 दिनांकः–12.04.2019

1. घीसालाल पिता बगदीराम जाति नाई उम्र 45 साल निवासी बाड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
2. भगवती बेवा बगदीराम जाति नाई उम्र 80 साल निवासी बाड़ी तह0 निम्बाहेड़ा जि0 चितौड़गढ।

//बनाम//

1. छगनलाल पिता चांदमल जाति कुमावत उम्र 55 साल निवासी बाड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
2. कैलाश पिता रामरतन जाति जाट उम्र 55 साल निवासी नया किशनपुरा बाड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
3. फत्तू पिता चैनराम जाट उम्र 40 साल निवासी नया किशनपुरा बाड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
4. करण पिता चैनराम जाट उम्र 44 साल निवासी नया किशनपुरा बाड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
5. रामरतन जाट उम्र 80 साल निवासी निवासी नया किशनपुरा बाड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 125 की आराजी न0 393/1297 रकबा 0.7600 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पड़ौसी है। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वाके मौजा बाड़ी प0ह0 बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 125 की आराजी न0 393/1297 रकबा 0.7600 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं हाने की स्थिति में , किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करे।

आज दिनांक 12.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.05 18:08:19 IST
Reason: SelfAttested